संख्या 3/19/2009-स्था.(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली; दिनांक : 5 अप्रैल 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों, जिनका वेतन, सिविल प्राक्कलनों के नामे योग्य होता है, पर केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 का लागू होना ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 11 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/13/2008-स्था.(वेतन-II) का हवाला देने का निदेश हुआ है । केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के बाद केन्द्रीय सरकार के सिविलियन पदों में रक्षा सेनाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों/अधिकारियों के वेतन नियतन के तरीके के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिन पर व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया गया है । रक्षा सेना के कार्मिकों/अधिकारियों सहित, केन्द्रीय सरकार में पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का नियतन, इस विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/85-स्था.(वेतन-II) (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा जारी सी.सी.एस.(पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का नियतन) आदेश, 1986 के अनुसार किया जाता है ।

2. प्रचलित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की प्रणाली शुरु होने के बाद सी.सी.एस. (पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का नियतन) आदेश, 1986 के संगत प्रावधानों में नीचे दिए गए निर्दिष्ट संशोधन करने पर निर्णय किया गया है :-

मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
पैरा 4(क) : पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों को उन पदों के विहित वेतनमान में ही वेतन आहरित करने की अनुमति होगी, जिस पर वे पुनर्नियोजित हैं । सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पदों के वेतनमानों की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी ।	पैरा 4(क) : पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों को उन पदों के निर्धारित वेतनमानों/वेतन ढांचे में ही वेतन आहरित करने की अनुमति होगी, जिस पर वे पुनर्नियोजित हैं । सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पदों के वेतनमानों/वेतन ढांचे की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी । टिप्पणी : केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधित वेतन ढांचा में पदों से संबद्ध ग्रेड वेतन

	और लागू वेतन बैंड शामिल होते हैं ।
पैरा 4(ख)(i) : ऐसे सभी मामलों में, जहां पेंशन की अनदेखी की जाती है, पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन का नियतन, पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर किया जाएगा ।	पैरा 4(ख)(i) : ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन की अनदेखी की जाती है, पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन का नियतन, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में प्रथम अनुसूची की धारा-II, भाग क द्वारा यथाअधिसूचित 1.1.2006 को या उसके बाद नियुक्त सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों के मामले में लागू पुनर्नियोजित पदों के संशोधित वेतन ढांचे में प्रवेश वेतन के अनुसार किया जाएगा ।
पैरा 4(ख)(ii) : ऐसे मामलों में जहां वेतन नियतन के लिए पूरी पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ की अनदेखी नहीं की जाती है, पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन का नियतन, सेवानिवृत्ति पूर्व आहरित अंतिम वेतन के अनुसार उसी प्रक्रम पर किया जाएगा । यदि पुनर्नियोजित पद में ऐसा प्रक्रम नहीं है, वेतन का नियतन, उस वेतन से ऊपर अगले प्रक्रम पर किया जाएगा । यदि उस वेतनमान का न्यूनतम, जिसमें कोई पेंशनभोगी पुनर्नियोजित है, सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन से कम हो, तो उसका आरंभिक वेतन पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया जाएगा । इसी प्रकार, यदि वेतनमान का न्यूनतम, जिसमें एक पेंशनभोगी पुनर्नियोजित है, सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन से अधिक हो, तो उसके आरंभिक वेतन का नियतन, पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर किया जाएगा । तथापि, ऐसे सभी मामलों में, पेंशन के अनदेखी नहीं किए जाने वाले भाग को इस प्रकार नियत किए गए वेतन से कम कर दिया	पैरा 4(ख)(ii) : ऐसे मामलों में जहां वेतन नियतन के लिए पूरी पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ की अनदेखी नहीं की जाती है, पुनर्नियोजन पर आरंभिक मूल वेतन का नियतन, सेवानिवृत्ति पूर्व आहरित अंतिम मूल वेतन के अनुसार उसी प्रक्रम पर किया जाएगा । तथापि, उसे पुनर्नियोजित पद का ग्रेड वेतन दिया जाएगा । अधिकतम मूल वेतन, पुनर्नियोजित पद के ग्रेड वेतन और 67000/-रु. वाले वेतन बैंड में वेतन को मिलाकर अर्थात् वेतन बैंड पी.बी.4 के अधिकतम से अधिक नहीं होगा । इन सभी मामलों में, पेंशन की अनदेखी न करने वाला भाग इस प्रकार नियत किए गए वेतन से कम कर दिया जाएगा । उदाहरण एक कर्नल सेवानिवृत हुआ, जिसका मूल वेतन 61700/-रु. (8700/- ग्रेड वेतन; 5300रु. वेतन बैंड में वेतन था, वह 7600रु के ग्रेड वेतन में किसी संगठन में उप सचिव के रूप में पुनर्नियोजित है । इस मामले में, पुनर्नियोजन पर उनका मूल वेतन 61700 रुपये रहेगा । तथापि, पुनर्नियोजन पर उनका ग्रेड वेतन 7600 रु. होगा और वेतन बैंड में वेतन 54100 रु. । उसके बाद, पेंशन की अनदेखी न करने वाला भाग इस प्रकार नियत किए गए वेतन से कम कर दिया जाएगा ।

	टिप्पणी : संशोधित वेतन ढांचे में, मूल वेतन, वेतन बैण्ड में वेतन और उस पद से संबंधित ग्रेड वेतन का योग होता है।
पैरा 4(ग) :- पुनर्नियोजित पेंशनभोगी को उपरोक्त पैरा (ख) के अधीन निर्धारित वेतन के अतिरिक्ति अन्य स्वीकृत पेंशन का आहरण करने और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ लेने की अनुमति होगी ।	पैरा 4 (ग) :- कोई परिवर्तन नहीं
पैरा 4(घ) :- 55 वर्ष की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पुर्ननियोजित व्यक्तियों की पेंशन [पीईजी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ] को निम्नलिखित के अनुसार प्रारंभिक वेतन निर्धारण करने के लिए नजरदांज किया जाएगा :-	पैरा 4(घ) :- 55 वर्ष की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पुर्न नियोजित व्यक्तियों की पेंशन [पीईजी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ] को निम्नलिखित के अनुसार प्रारंभिक वेतन निर्धारण करने के लिए नजरदांज किया जाएगा :-
(i) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्ति के समय रक्षा बलों में कमीशन अधिकारी रैंक के नीचे पद धारण करते हैं और ऐसे सिविलियन जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय समूह 'क' से नीचे पद धारण करते हैं उनकी समस्त पेंशन और इसके समकक्ष सेवानिवृत्ति लाभों को नजरदांज किया जाएगा।	(i) कोई परिवर्तन नहीं
(ii) रक्षा बलों एवं सिविलियन पेंशनभोगियों से संबंधित अधिकारी जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय समूह 'क' पदधारण करते हैं की पेंशन और इसके समकक्ष सेवानिवृत्ति लाभों का प्रथम 500/-* रु. तक नजरदांज किया जाएगा। (*दिनांक 11 नवम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/13/2008-स्था. (वेतन-II) द्वारा पहले से ही 4000/- रु. संशोधित)	(ii) रक्षा बलों से संबंधित कमीशन प्राप्त अधिकारी और सिविलियन पेंशनभोगी जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय समूह 'क' पद धारण करते हैं की पेंशन और इसके समकक्ष सेवानिवृत्ति लाभ का प्रथम 4000/- रु. नजरदांज किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह भी निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-

(i) वेतनवृद्धि आहरित करना : एक बार पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी का आरंभिक वेतन उपर्युक्त दर्शाए गए अनुसार नियत कर दिया जाता है, तो उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 9 और 10 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य वेतनवृद्धि आहरित करने की अनुमति होगी ।

(ii) भत्ते :- संशोधित वेतन संरचना में विभिन्न भत्ते तथा अन्य प्रसुविधाओं का आहरण पुनर्नियुक्ति वाले पद अथवा मूल वेतन जैसी भी स्थिति हो, के ग्रेड वेतन के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(iii) सैन्य सेवा वेतन (एम.एस.पी.) को गिना जाना :- सैन्य सेवा वेतन (एम.एस.पी.) रक्षा बलों के अधिकारियों/कार्मिकों को प्रदान किया जाता है, जब वे रक्षा बलों में कार्यरत होते हैं । तदनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारक्षेत्र में आने वाले गुप्त संगठनों सहित सिविल संगठनों में उनके पुनर्नियुक्त होने पर ऐसे अधिकारियों/कार्मिकों को एम.एस.पी दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि रक्षा बलों के सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों/कार्मिकों को प्रदान किया गया एम.एस.पी. का लाभ जिसकी पेंशन की गणना करते समय संगणना कर ली गई थी (दिनांक 1.1.2006 से पूर्व के मामले में नोशनल आधार पर) उसे वापिस नहीं लिया जाना चाहिए । <u>तदनुसार, जहां पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों की पेंशन में एम.एस.पी. का लाभ शामिल होगा, उन्हें सिविल संगठनों में कार्य करते समय एम.एस.पी. प्रदान नहीं किया जाएगा</u> ।

(iv) दिनांक 1.1.2006 से पूर्व पुनर्नियुक्त और दिनांक 1.1.2006 को सेवारत कार्मिकों/अधिकारियों के वेतन का निर्धारण :- ऐसे कार्मिकों/ अधिकारियों के मामले में जो दिनांक 1.1.2006 से पूर्व पुनर्नियुक्त हुए थे और जो दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार पुनर्नियुक्ति आधार पर केन्द्रीय सरकार के संगठनों में कार्य कर रहे थे, उनका वेतन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.11.2008 के का.ज्ञा.सं. 3/13/2008-स्था.(वेतन-II) के प्रावधानों के अनुसार नियत किया जाएगा । यह कार्यालय ज्ञापन निर्धारित करता है कि पुनर्नियुक्त कर्मचारी जो संशोधित वेतन ढांचा चुनने के लिए पात्र हो जाते हैं, वे केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमायली, 2008 के नियम 6 में निर्धारित किए गए तरीके से अपना विकल्प देंगे और उनका वेतन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार नियत किया जाएगा । इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार व्यय विभाग ने दिनांक 30.8.2008 के का.ज्ञा.सं. 1/1/2008-आई.सी. द्वारा प्रत्येक पूर्व संशोधित वेतनमान के समरूप फिटमेंट सारणी जारी की है । उन कार्मिकों/ अधिकारियों के मामले में भी जो दिनांक 1.1.2006 से पूर्व पुनर्नियुक्त हो गए थे और जो

दिनांक 1.1.2006 को पुनर्नियुक्ति आधार पर सिविल संगठनों में कार्य कर रहे थे, उनका वेतन पूर्व संशोधित सिविल वेतनमानों की फिटमेंट सारणी के संदर्भ में नियत किया जाएगा, जिसमें वे पुनर्नियुक्त हुए थे और दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार पूर्व संशोधित वेतनमान में उनके स्तर (स्टेज) के समरूप किया जाएगा ।

(v) ऐसे कार्मिकों/अधिकारियों के वेतन का निर्धारण जो दिनांक 1.1.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे और जो दिनांक 1.1.2006 के बाद पुनर्नियुक्त हुए :- ऐसे कार्मिकों/अधिकारियों के मामले में जो दिनांक 1.1.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे और जो दिनांक 1.1.2006 के बाद पुनर्नियुक्त हुए, का पुनर्नियुक्ति पर वेतन, सेवानिवृत्ति के समय उनकी संशोधित मूल वेतन पर नोशनल आधार पर पहुँचते हुए नियत किया जाएगा कि जिस प्रकार वे संशोधित वेतन संरचना के तहत सेवानिवृत्त हुए होते । ऐसा वेतन निर्धारण रक्षा सेवा रैंक/सिविल सेवा पदों (जैसी भी स्थिति हो) जिससे वे सेवानिवृत्त हुए थे, की फिटमेंट सारणी के संदर्भ में और उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके मूल वेतन के स्तर पर किया जाएगा । पुनर्नियुक्ति पर उनका मूल वेतन उस स्तर पर किया जाएगा, जो सेवानिवृत्ति से पूर्व नोशनल अंतिम मूल वेतन पर पहुँचता । तथापि, उन्हें पुनर्नियुक्त पद का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाएगा । अधिकतम मूल वेतन, पुनर्नियुक्त पद के ग्रेड वेतन जमा 67000 रुपए के वेतन बैंड अर्थात् वेतन बैंड-4 के अधिकतम से अधिक नहीं होगा । इन सभी मामलों में पेंशन के उपेक्षणीय भाग (नॉन-इग्नोरेबल) की इस प्रकार नियत वेतन में कटौती नहीं की गई थी ।

4. उपर्युक्त विषय पर मौजूदा अनुदेश, इस सीमा तक संशोधित माने जाएंगे ।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

रीता माथुर
(रीता माथुर)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार) ।